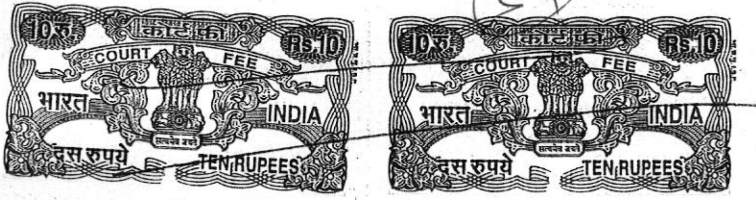

समक्ष सदस्य मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल §म.प्र.§

प्र.क्र. ------/निगरानी/2016-17 III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/1839

1/गोविन्द पुत्र ओंकार, आयु 75 साल

2/गोरधन पुत्र सुन्दरलाल"" 62 साल

3/रामचरण पुत्र सुन्दरलाल "55 साल

4/कृष्णाबाई पति तुलसीराम पुत्रवधु सुन्दरलाल आयु 50 साल

5/संजू पुत्र स्व. तुलसीराम पौत्र सुन्दरलाल आयु 25 साल

6/विजय पुत्र तुलसीराम पौत्र सुन्दरलाल आयु 23 साल

7/साधना पुत्री तुलसीराम पौत्री सुन्दरलाल आयु 18 साल
8/सौरम पुत्र सुन्दरलाल वयस्क
सभीनिवासी पटेल मार्केट सीहोर -----------------निगरानीकर्तागण

आज दिनांक 15/6/17 को ओपन न्यायालय में प्रस्तुत की गई। 15/6/17

(108)

अभिभावक श्री...नरेन्द्र कु. जुनेजा...द्वारा आज दिनांक...13/6/2017...को पेश।

विरूद्ध

1/ अजयराठौर पुत्र चैनसिंह राठौर वयस्क

निवासी गंज सीहोर , जिला सीहोर म.प्र.

2/ म.प्र.शासन द्वारा तहसीलदार सीहोर - - - - रेस्पान्डेन्टस

निगरानी अंतर्गत धारा50 म.प्र.भू.रा.सं.-1959

विरूद्ध आदेश दिनांक 23/5/2017 प्र.क्र. 154-410/अ-12/16-17

अजय विरूद्ध म.प्र.शासन पारित द्वारा तहसीलदार तहसील सीहोर

श्रीमानजी,

निगरानीकर्तागण मा० अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23/5/2017 से असंतुष्ट व दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एंव विधि आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं:-

-:: प्रकरण के तथ्य ::-

1- यहकि कस्बा सीहोर स्थित भूमि सर्वे नंबर 3 रकबा 0.73 डेसीमल ख.नं. 4 रकबा 28-76 एकड कुल 29-49 एकड पर निगरानीकर्तागण द्वारा नामांतरण व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में दिये गये अभिमत के आधार पर चाहे जाने पर प्रकरण क्र. 30/अ-6/2004-05 एंव 31/अ-6/2004-05 तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । जिसमें निगरानीकर्तागण द्वारा गोविन्द ने 6-50 एकड, सुन्दरलाल आत्मज कालूराम ने 6-76 एकड शिकमी कब्जेदार के आधार पर नामांतरण कीमांग की । तीनो ही प्रकरण एकीकृत किये जाकर प्र.क्र. 33§अ-6§2003-04 में

2

... लेकिन मा. अधिनस्थ ... जाना स्वीकृत किया जाता है

III / शि०आ० / सिहोर / भू०अ० / 2017 / 1839

— 2 —

12/9/17 अ०पाल०	आवेदक प्रभा० का - एस.के. श्रीवास्तव, उप। उनके द्वारा बतलाया गया है कि प्रकरण आवेदक ही चलाना चाहते हैं प्रकरण न चलाने के कारण प्रकरण इसी ~~कि~~ स्तर पर समाप्त किया जाता है हस्ताक्षर	...लाल नोहरा देवा हस्ताक्षर 12/9